

कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा (मध्य प्रदेश)
द्वितीय निविदा – आमंत्रण

कमांक / 8432/बाढ़/राहत/2019

हरदा, दिनांक 29/07/2019

जिला हरदा में वर्ष 2019 में बाढ़ अतिवृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए 01 अगस्त 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक (दो माह) के लिए 10 मोटरबोट/नाव किराये पर लिया जाना है। इस हेतु निविदा आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 29.07.2019 से 13.08.2019 दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित की जा रही है। निविदाकार निर्धारित तिथि व समय तक निविदा सीलबंद लिफाफे में "कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा" में अवकाश के दिवस छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा दिनांक 13.08.2019 को सायं 04:00 बजे समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा आवेदन पत्र एवं शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवकाश दिवस छोड़कर निर्धारित शुल्क रूपये 100.00 जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र व शर्तें जिले की बेवसाईड www.harda.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है जिसके लिए पृथक से 100.00 रूपये का डी0 डी0 संलग्न करना होगा।

निविदा आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

अपर कलेक्टर
जिला हरदा

पू0कमांक / 8433/बाढ़/राहत/2019-20
प्रतिलिपि:-

हरदा, दिनांक 29/07/2019

1. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जन संपर्क संचालनालय बाणगंगा भोपाल की ओर संक्षिप्त निविदा प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. कार्यालय कलेक्टर जिला _____ की ओर सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
4. तहसीलदार सर्व जिला हरदा की ओर निविदा सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाशन हरदा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) हरदा की ओर बेवसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
7. जमादारमाल जिला कार्यालय हरदा की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला हरदा

25/7/19

कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा म.प्र.

निविदा फार्म

आवेदन शुल्क 100 रुपये प्रति फार्म

(निविदा आमंत्रण सूचना के तहत मोटरबोट नाव के लिये निविदा फार्म का प्रारूप)

निविदा आमंत्रण की सूचना का क्रमांक /

/बाढ़/राहत/2019-20

हरदा, दिनांक /07/2019

1. फर्म/ मालिक का नाम एवं मोबा. नंबर

2. फर्म/ मालिक का पूरा पता

3. फर्म/मालिक का पंजीयन क्रमांक(अगर हो तो)

4. फर्म/मालिक का टिन नंबर (TIN No.)

5. फर्म/मालिक का आयकर नंबर

6. मोटरबोट/ नाव की दरें (डीजल रहित/ चालक रहित)

क्रमांक	मोटरबोट / नाव का आकार (लं Xचौ.)	मोटरबोट/नाव का निर्माण वर्ष	यात्री क्षमता	मासिक किराया
1	2	3	4	5

7. मोटरबोट/ नाव (डीजल सहित/ चालक सहित)

क्रमांक	मोटरबोट / नाव का आकार (लं Xचौ.)	मोटरबोट/नाव का निर्माण वर्ष	यात्री क्षमता	मासिक किराया
1	2	3	4	5

8. मोटरबोट/ नाव (डीजल रहित/ चालक सहित)

क्रमांक	मोटरबोट / नाव का आकार (लं Xचौ.)	मोटरबोट/नाव का निर्माण वर्ष	यात्री क्षमता	मासिक किराया
1	2	3	4	5

9. मोटरबोट/ नाव (डीजल सहित/ चालक रहित)

क्रमांक	मोटरबोट / नाव का आकार (लं Xचौ.)	मोटरबोट/नाव का निर्माण वर्ष	यात्री क्षमता	मासिक किराया
1	2	3	4	5

10. निविदा में उल्लेखित अनुसार धरोहर राशि जमा करने का विवरण :-

बैंक ड्राफ्ट का क्रमांक दिनांक..... बैंक शाखा का नाम.....

राशि रुपये 1,000-00 (रुपये एक हजार) (बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति सुरक्षित रख ली गई है)

11. 1. नाव चालक का नाम नाव चालक का पता एवं मोबाईल नंबर.....

2. नाव चालक का बीमा है अथवा नहीं अगर है तो बीमा क्रमांक.....

घोषणा पत्र

मैंने निविदा आमंत्रण पत्र एवं निविदा की निहित शर्तों का भली भांति अध्ययन कर लिया गया है, मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। दरें निर्धारित होने पर मुझे आदेश प्राप्त होगा तो अनुबंध पत्र निष्पादित कर रुपये 3,000-00 (रुपये तीन हजार) धरोहर राशि जमा कराने हेतु सहमत हूँ।

दिनांक :
समय :

निविदाकर्ता/ फर्म संचालक/ व्यक्ति के
के हस्ताक्षर

नियम शर्तें

1. निविदा प्रपत्र जमा करने के साथ राशि रूपये 1000.00 (अंकन एक हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट कलेक्टर हरदा के नाम से जमा कराना होगा ।
2. मोटरबोट/नाव दिनांक 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2019 तक हरदा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए किराये पर ली जावेगी ।
3. फर्म/मालिक को जिले के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं के व्यय पर मोटरबोट/नाव का परिवहन करना होगा ।
4. मोटरबोट/नाव कार्यादेश देने की दिनांक से उपलब्ध कराना होगा । मोटरबोट/नाव कार्यादेश प्रदान करने के 48 घण्टे के अन्दर उपलब्ध न कराने की दशा में 500.00 रूपये प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है ।
5. आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त मोटरबोट/नाव स्वीकृत दर पर ही उपलब्ध कराना होगा ।
6. न्यूनतम दरें अनुमोदित होने पर अनुबंध के समय मोटरबोट/नाव मालिक को 3000.00 रूपये की अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा ।
7. मोटरबोट/नाव में किसी भी प्रकार की मरम्मत व अन्य खर्च (लुब्रीकेन्ट), एक्सीडेंट व टूट-फूट के लिए फर्म/मालिक स्वयं जबावदेह होगा ।
8. मोटरबोट/नाव चालक को प्रतिदिन लॉगबुक संधारित करनी होगी । लॉगबुक का सत्यापन ग्राम कोटवार, पटवारी/सचिव (किन्ही दो) से कराना अनिवार्य होगा एवं पीओएल देयक संबंधित तहसीलदार से सत्यापित करना अनिवार्य होगा ।
9. मोटरबोट/नाव जिस दिन चलेगी, एस दिनांक को उसे स्वीकृत निविदा दर पर भुगतान किया जावेगा तथा जिस दिन मोटरबोट/नाव नहीं चलेगी अर्थात् नाव घाटों पर खड़ी रहेगी उस दिन उसे खड़ी रहने का किराया भुगतान किया जावेगा ।
10. नाव चालक का व्यवहार मधुर व नैतिक होगा ।
11. नाव चालक क्षमता से अधिक सवारी नहीं बिठायेगा ।
12. मोटरबोट/नाव अच्छी हालत में होनी चाहिए जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (ई एण्ड एम) से प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।
13. मासिक किराये में सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित होंगे । पृथक से टैक्स या सेवा कर आदि देय नहीं होंगे ।
14. निविदाकार/फर्म/मालिक को मोटरबोट/नाव का यात्रियों की क्षमता अनुसार बीमा करवाना होगा ।
15. फर्म/मालिक द्वारा नाव चालक बदला जाता है तो उसका सम्पूर्ण बायोडाटा 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराना होगा ।
16. मोटरबोट/नाव मरम्मत की दशा में 24 घण्टे से अधिक समय लगने पर उसे दूसरी मोटरबोट/नाव 48 घण्टे में उपलब्ध कराना होगा एवं मरम्मत अवधि का किराया देय नहीं होगा ।
17. मोटरबोट/नाव चालक की ठहरने/भोजन आदि की व्यवस्था निविदाकार की होगी ।
18. यथासंभव मोटरबोट/नाव चालक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं उसे व्यवसायिक मोटर/नाव संचालन का ड्रायविंग लायसेंस धारित व 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
19. निविदाकार/फर्म/मालिक को प्रत्येक मोटरबोट/नाव की क्षमता अनुरूप जीवन रक्षक उपकरण जैसे लाईफ जैकेट, लाईफ रिंग, दो नग लम्बे बांस, दो नग चप्पू एवं बीस फिट लम्बा रस्सा व मेडीकल किट रखना अनिवार्य होगा जिसका प्रमाणन अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (ई एण्ड एम) से कराना होगा ।
20. निविदाकार/फर्म/मालिक को प्रतिमाह की 7 तारीख तक भुगतान देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा ।
21. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने में अगर देरी होती है तो विज्ञप्ति में दर्शित दिनांक से कार्यादेश प्रदान करने की समयावधि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
22. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला हरदा को होगा । कलेक्टर हरदा 15 दिवस के नोटिस पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकेंगे ।
23. न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र हरदा होगा ।